

प्रेसनोट दिनांक 17.09.2023

1. दिनांक 16.09.2023 को वादी श्री मनोज कुमार शर्मा प्र०नि० को०अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि धनलाल मिश्र उर्फ चिन्ने लम्बरदार पुत्र बेनीमाधव मिश्रा नि० चिलबिला महास कौड़ईया जनपद गोण्डा।गिर० अभि० के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना। संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 533/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 16.09.2023 को वादी उ०नि० श्री अशोक कुमार थाना रौनाही अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि भानु प्रताप रावत पुत्र राधे रमन रावत नि० ठेगुआ थाना रौनाही अयोध्या।गिर० अभि० के कब्जे से 05 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। संबंध में थाना रौनाही में मु०अ०सं० 470/23 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 16.09.2023 को वादी उ०नि० श्री अभिषेक सिंह थाना कुमारगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि गुलाम रसूल पुत्र अब्दुल वहीद नि० रौनाही थाना रौनाही अयोध्या।गिर० अभि० द्वारा रास्ते में आने-जाने वाली स्कूली छात्राओं/महिलाओं पर भद्दी-भद्दी टिप्पणी करना। संबंध में थाना कुमारगंज में मु०अ०सं० 173/23 धारा 294 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 16.09.2023 को वादी उ०नि० श्री कमलेश कुमार सरोज थाना पटरंगा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि सादान पुत्र स्व० असगर नि० हालमऊ थाना पटरंगा अयोध्या।गिर० अभि० द्वारा रास्ते में आने-जाने वाली स्कूली छात्राओं/महिलाओं पर भद्दी-भद्दी टिप्पणी करना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु०अ०सं० 215/23 धारा 294 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।